



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 30, 2012/कार्तिक 8, 1934

No. 555]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 2012/KARTIKA 8, 1934

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 23 अप्रैल, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)
(तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 796(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- ये विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलाएंगे।
- इन विनियमों में दिये गये अन्यथा के रूप में संरक्षित, इन विनियमों के प्रावधान, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति 2011 के परिपत्र सं. 1 की तारीख से अर्थात् 31 मार्च, 2011 से लागू होंगे।

2. विनियम 9 का संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी), (इसके आगे 'मूल विनियमावली' के रूप में, विनियम 9 में, उप-विनियम (2) में खंड (ii) में, निम्नलिखित को हटा दिया जाएगा।

" बशर्तें जिस व्यक्ति को शेयर अंतरित किये जा रहे हैं, खंड (i) और (ii) के अनुसार, उसने यदि अपने उसी क्षेत्र अथवा अन्य क्षेत्र जिसमें भारतीय कंपनी, जिसके शेयर अंतरित होना निहित है, में शेयर अथवा डिबेंचर में निवेश अथवा तकनीकी सहयोग अथवा ट्रेड मार्क करार अथवा निवेश जिस किसी नाम से जाना जाता हो, के माध्यम से पहले कोई उद्यम हो अथवा भारत में गठजोड़ हो, शेयर प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली हो :

बशर्तें कि खंड (i) और (ii) के प्रतिबंध, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), राष्ट्रमंडल विकास निगम (सीडीसी), इयूश एन्टिवक्लंग्ज गेस्लेस्काफ्ट (डीईजी) जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को शेयरों के अंतरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्यरत किसी भारतीय कंपनी के शेयरों के अंतरण के लिए लागू नहीं होंगे ।"

3. अनुसूची 1 का संशोधन

मूल विनियमावली में, अनुसूची 1 में,

(ए) पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) हटा दिया जाएगा ।

(बी) पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ (4) में, खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ दिया जाएगा तथा अप्रैल 2003 की पहली तारीख से जोड़ दिया गया है ऐसा समझा जाएगा, अर्थात:-

"(iii) विकास आयुक्त और यथोचित सीमा-शुल्क अधिकारियों की किसी समिति द्वारा मूल्यांकन की शर्त के अधीन, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ईकाईयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात पर ।"

(सी) मौजूदा पैराग्राफ 3 के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"3. इन विनियमों के अनुसार भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति को सीधे विदेशी आवक विप्रेषण (अथवा एनआरई खाते/एफसीएनआर खाते को नामे करते हुए) पर अथवा आवक विप्रेषण से अन्य प्रतिफल (consideration) पर अर्थात् विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ईकाईयों द्वारा पूंजीगत माल/बाह्य वाणिज्यिक उधारों (बाह्य वाणिज्यिक उधारों के रूप में समझे जाने वालों को छोड़कर) के भुगतान/आयात के लिए देय रॉयल्टी/एकमुश्त शुल्क पर शेयर जारी करने के लिए इच्छुक कोई भारतीय कंपनी भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) का पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगी, यदि भारतीय कंपनी;

ए) इस अनुसूची को संलग्न 'ए' में विनिर्दिष्ट किसी गतिविधि में कार्यरत है अथवा कार्यरत होने का प्रस्ताव रखती हो; अथवा

- बी) इस अनुसूची को संलग्न 'बी' में यथा विनिर्दिष्ट, भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति को सैक्टोरेल सीमाओं से उपर शेयर जारी करने का प्रस्ताव करती है अथवा भारतीय कंपनी की गतिविधि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) मार्ग के तहत आती हो; अथवा सी) शेयर स्वाप' पर अर्थात् समुद्रपारीय कंपनी में अर्जित शेयरों के लिए भुगतान किये जाने वाले प्रतिफल (consideration) के बदले भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति को शेयर जारी करने का प्रस्ताव करती हो; अथवा
- डी) भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट शर्त के पालन के अधीन पूंजीगत माल/ मशीनरी/ उपकरण (पुरानी (second hand) मशीनरी सहित) के आयात पर भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति को शेयर जारी करने का प्रस्ताव करती हो; अथवा
- ई) भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट शर्त के पालन के अधीन परिचालन पूर्व/निगमन पूर्व व्ययों (किराये, आदि के भुगतान सहित) पर भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति को शेयर जारी करने का प्रस्ताव करती हो ।

(डी). संलग्नक 'ए' में, वर्तमान पैराग्राफ (ए) हटा दिया जाएगा तथा पैराग्राफ (बी) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र

- i. खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार को छोड़कर)
- ii. सरकारी / निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी आदि सहित लॉटरी कारोबार
- iii. केसिनो सहित जुआ और सट्टेबाजी, आदि
- iv. चिट फंड
- v. निधि कंपनी
- vi. अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकार का कारोबार (TDRs)
- vii. स्थावर संपदा कारोबार अथवा फार्म हाउस का निर्माण
- viii. तंबाकू अथवा तंबाकू जैसे पदार्थ के सिगार, चीरूट, सिगारिलो और सिगरेट का निर्माण ।
- ix. निजी क्षेत्र में निवेश के लिए न खोली गयी गतिविधियां / क्षेत्र अर्थात् परमाणु उर्जा और रेल्वे परिवहन (मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स से अन्य) विशेष विक्रय अधिकार, ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम, प्रबंध करार के लिए लाइसेंस सहित किसी भी प्रकार का विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग भी लॉटरी कारोबार तथा जुआ और सट्टेबाजी कार्य के लिए पूर्णतः निषिद्ध है।

1 इस संशोधन को दिसंबर 2003 की छठी तारीख से अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ए.पी. (डीआइआर सीरीज़) परिपत्र सं. 41 के जारी होने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है ।

4. अनुसूची 4 का संशोधन

अनुसूची 4 में, पैराग्राफ 2 में, निम्नलिखित को हटा दिया जाएगा।

" बशर्ते जिस व्यक्ति को शेयर अंतरित किये जा रहे हैं, उसने यदि उसी कंपनी, जिसके शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर उसके द्वारा अर्जित किये जाने हैं, के उसी क्षेत्र में, 12 जनवरी 2005 को, मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण/ट्रेड मार्क करार किया हो, शेयर प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली हो।

बशर्ते निम्नलिखित के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होगी:

(ए) एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), राष्ट्रमंडल विकास निगम (सीडीसी), इयूश एन्टिवक्लंग्ज गेस्लेस्काफ्ट (डीईजी) जैसी बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को शेयरों के अंतरण।

(बी) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अथवा खनन क्षेत्र में कार्यरत भारतीय कंपनी के शेयरों के अंतरण, यदि उस व्यक्ति, जिसे शेयर अंतरित किये जाने हैं, का मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण/ट्रेड मार्क करार, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अथवा उसी क्षेत्र/खनिज के लिए खनन क्षेत्र में भी है।

(सी) सेबी के पास पंजीकृत उद्यम पूंजी निधियों (Venture Capital Funds) द्वारा किये जाने वाले निवेश; बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश अथवा जब किसी पार्टी द्वारा किये गये मौजूदा संयुक्त उद्यम निवेश 3% से कम है; अथवा जब मौजूदा संयुक्त उद्यम/सहयोग निष्क्रिय अथवा अलाभकारी है।

[सं. फेमा. 229/2012-आरबी]

रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र में भाग II में, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में 8 मई, 2000 की जी.एस.आर. सं. 406(ई) के जरिये प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी :

02.03.2001 के जीएसआर सं.158 (ई)

13.03.2001 के जीएसआर सं.175 (ई)

- 14.03.2001 के जीएसआर सं.182 (ई)
 02.01.2002 के जीएसआर सं.4 (ई)
 19.08.2002 के जीएसआर सं.574 (ई)
 18.03.2003 के जीएसआर सं.223 (ई)
 18.03.2003 के जीएसआर सं.225(ई)
 22.07.2003 के जीएसआर सं.558 (ई)
 23.10.2003 के जीएसआर सं.835 (ई)
 22.11.2003 के जीएसआर सं.899 (ई)
 07.01.2004 के जीएसआर सं.12 (ई)
 23.04.2004 के जीएसआर सं.278 (ई)
 16.07.2004 के जीएसआर सं.454 (ई)
 21.09.2004 के जीएसआर सं.625 (ई)
 08.12.2004 के जीएसआर सं.799 (ई)
 01.04.2005 के जीएसआर सं.201 (ई)
 01.04.2005 के जीएसआर सं.202 (ई)
 25.07.2005 के जीएसआर सं.504 (ई)
 25.07.2005 के जीएसआर सं.505 (ई)
 29.07.2005 के जीएसआर सं.513 (ई)
 22.12.2005 के जीएसआर सं.738 (ई)
 19.01.2006 के जीएसआर सं.29 (ई)
 11.07.2006 के जीएसआर सं.413 (ई)
 14.11.2007 के जीएसआर सं.712 (ई)
 14.11.2007 के जीएसआर सं.713 (ई)
 29.11.2007 के जीएसआर सं.737 (ई)
 05.08.2008 के जीएसआर सं.575 (ई)
 30.12.2008 के जीएसआर सं.896 (ई)
 01.12.2009 के जीएसआर सं.851 (ई)
 21.04.2010 के जीएसआर सं.341 (ई)
 ----- के जीएसआर सं.-----
 ----- के जीएसआर सं.-----
 ----- के जीएसआर सं.-----
 ----- के जीएसआर सं.-----

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd April, 2012

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Third Amendment) Regulations, 2012

G.S.R. 796(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:—

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Third Amendment) Regulations, 2012.
- (ii) Save as otherwise provided in these Regulations, the provisions of these Regulations shall come into force from the date of the Consolidated FDI Policy Circular No. 1 of 2011 i.e., March 31, 2011, issued by the Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India.

2. Amendment of Regulation 9

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20 / 2000-RB dated 3rd May 2000), (hereinafter referred to as 'the principal Regulations'), in Regulation 9, in sub-regulation (2) in clause (ii), the following shall be deleted.

“Provided that the person to whom the shares are being transferred, in terms of clause (i) and (ii), has obtained prior permission of Central Government to acquire the

shares if he has previous venture or tie up in India through investment in shares or debentures or a technical collaboration or a trade mark agreement or investment by whatever name called in the same field or allied field in which the Indian company whose shares are being transferred is engaged:

Provided further that the restriction in clauses (i) and (ii) shall not apply to the transfer of shares to International financial institutions such as Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), Commonwealth Development Corporation (CDC), Deutsche Entwicklungs Gescelschaft (DEG) and transfer of shares of an Indian company engaged in Information Technology sector."

3. Amendment of Schedule 1

In the principal Regulations, in Schedule 1,

(A) in paragraph 1, sub-paragraph (2) shall be deleted.

(B) in paragraph 2, in sub-paragraph (4), after clause (ii), the following new clause shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 1st day of April 2003, namely:-

"(iii) against import of capital goods by units in SEZs, subject to the valuation by a Committee consisting of Development Commissioner and the appropriate Customs officials."

(C) for the existing paragraph 3, the following paragraph shall be substituted:-

"3. An Indian company intending to issue shares to a person resident outside India in accordance with these Regulations directly against foreign inward remittance (or by debit to NRE account/ FCNR account) or against consideration other than inward remittance i.e., against royalty/ lump sum fee due for payment/ import of capital goods by units in SEZs/ ECBs (excluding those deemed as ECBs) shall obtain prior approval of the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) of Government of India, if the Indian company ;

a) is engaged or proposes to engage, in any activity specified in Annex A to this Schedule ;or

- b) proposes to issue shares to a person resident outside India beyond sectoral limits or the activity of the Indian company falls under the FIPB route, as stipulated in Annex B to this Schedule ; or
- c) proposes to issue shares to a person resident outside India against shares swap¹ i.e. in lieu of consideration to be paid for shares acquired in the overseas company; or
- d) proposes to issue shares to a person resident outside India against import of capital goods/ machinery/ equipment (including second-hand machinery) subject to compliance with the conditions specified by the Government of India and the Reserve Bank from time to time; or
- e) proposes to issue shares to a person resident outside India against pre-operative/ pre-incorporation expenses (including payments of rent etc.), subject to compliance with the conditions specified by the Government of India and the Reserve Bank from time to time.

(D). In Annex 'A', the existing paragraph (A) shall be deleted and paragraph (B) shall be substituted, namely:-

"Sectors prohibited for FDI

- i. Retail Trading (except single brand product retailing);
- ii. Lottery Business including Government / private lottery, online lotteries etc.;
- iii. Gambling and Betting including casinos etc.;
- iv. Chit funds;
- v. Nidhi Company;
- vi. Trading in Transferable Development Rights (TDRs);
- vii. Real Estate Business or Construction of Farm Houses;
- viii. Manufacturing of cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes; and
- ix. Activities/sector not opened to private sector investment e.g. Atomic

¹ This amendment is given retrospective effect from 6th day of December 2003 that is from the date of issuance of A.P. (Dir Series) Circular No.41 issued by the Reserve Bank of India.

Energy and Railway Transport (other than Mass Rapid Transport Systems).

Foreign technology collaboration in any form including licensing for franchise, trademark, brand name, management contract is also prohibited for Lottery Business and Gambling and Betting activities.

4. Amendment of Schedule 4

In Schedule 4, in paragraph 2, the following shall be deleted.

“Provided that the person to whom the shares are being transferred, shall obtain prior permission of the Central Government to acquire the shares if he has, as on 12th day of January 2005, an existing joint venture or technology transfer/trademark agreement in the same field as that of the company of which the shares or convertible debentures to be acquired by him.

Provided further that no prior permission of Central Government shall be required for:

- (a) transfer of shares to multinational financial institutions such as Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), Commonwealth Development Corporation (CDC), Deutsche Entwicklungs Gescelschaft (DEG).
- (b) transfer of shares of an Indian company engaged in Information Technology sector or in the mining sector, if the existing joint venture or technology transfer/trademark agreement of the person to whom the shares are to be transferred are also in the Information Technology sector or in the mining sector for same area/mineral.
- (c) investments to be made by Venture Capital Funds registered with SEBI; investments by multinational financial institutions or where in the existing joint-venture investment by either of the parties is less than 3%; or where the existing joint venture/ collaboration is defunct or sick”.

[No. FEMA 229/2012-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager

Foot Note:

(i) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (1) and subsequently amended as under:

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001
 G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001
 G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001
 G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002
 G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
 G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
 G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
 G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
 G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
 G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
 G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
 G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
 G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
 G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
 G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
 G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
 G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
 G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
 G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
 G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
 G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
 G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
 G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
 G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
 G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
 G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
 G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
 G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
 G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
 G.S.R.No. ----- dated -----
 G.S.R.No. ----- dated -----
 G.S.R.No. ----- dated -----
 G.S.R.No. ----- dated -----

(ii) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these regulations.